Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

सामान्य हिन्दी एवं निबंध

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: BRPM21

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

सामान्य हिन्दी एवं निबंध

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

BPSC DLP विषय सूची (Contents)

1. हिन्दी भाषा का परिचय	**5-14**
1.1 हिन्दी भाषा की ध्वनि व्यवस्था	5
1.2 हिन्दी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द-संपदा	7
2. मानक हिन्दी की व्याकरणिक संरचना	**15-34**
2.1 संज्ञा	15
2.2 सर्वनाम	20
2.3 क्रिया	21
2.4 क्रिया-विशेषण	25
2.5 विशेषण	28
3. संधि एवं समास	**35-37**
4. उपसर्ग और प्रत्यय	**38-56**
5. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ	**57-81**
5.1 मुहावरों का अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग	60
5.2 कहावतों (लोकोक्तियाँ) का अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग	71
6. अनेक शब्दों के लिये एक शब्द	**82-96**
7. पर्यायवाची शब्द	**97-104**
8. वाक्य-शुद्धि	**105-118**
9. संक्षेपण	**119-127**
9.1 शीर्षक	119
9.2 संक्षिप्तीकरण	119
10. निबंध	**128-220**
10.1 निबंध क्या है?	128
10.2 निबंध लिखने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी चुनौतियाँ	132
10.3 निबंध लेखन से जुड़े अन्य सुझाव	151
10.4 निंबध संग्रह	156

अध्याय
1

हिन्दी भाषा का परिचय

किसी भी भाषा का अध्ययन चार इकाइयों के स्तर पर किया जा सकता है-

1. ध्वनि व्यवस्था 2. शब्द व्यवस्था 3. व्याकरणिक संरचना 4. लिपि व वर्तनी

1.1 हिन्दी भाषा की ध्वनि व्यवस्था

हिन्दी भाषा में कुल 59 ध्वनियाँ स्वीकार की गई हैं। इस दृष्टि से हिन्दी दुनिया की सर्वाधिक समृद्ध भाषाओं में से एक है। विश्व की सभी भाषाओं में प्रचलित प्रायः सभी ध्वनियाँ इसमें विद्यमान हैं।

इन ध्वनियों को मूल रूप से तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है:

(क) स्वर (ख) व्यंजन (ग) अयोगवाह ध्वनियाँ

(क) स्वर

स्वर उस ध्वनि को कहते हैं, जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। हिन्दी भाषा में बारह स्वर हैं, जिन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

(अ) **मूल स्वर** अर्थात् वे स्वर जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता। ये संख्या में चार हैं - अ, इ, उ, ऋ।

(आ) **दीर्घ स्वर** अर्थात् एक ही मूल स्वर के दो बार जुड़ने से बनने वाले स्वर। ये भी संख्या में चार हैं -

आ (अ + अ) ऊ (उ + उ) ई (इ + इ) ॠ (ऋ + ऋ)

(इ) **संयुक्त स्वर** अर्थात् वे दीर्घ स्वर जो दो अलग-अलग स्वरों से मिलकर बने हों। ये भी संख्या में चार हैं-

ए (अ + इ) ओ (अ + उ) ऐ (अ + ए) औ (अ + ओ)

(ख) व्यंजन

व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं, जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि (स्वर) की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते। हिन्दी में कुल 45 व्यंजन हैं, जिनका कई आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है-

1. *अवरोध के आधार पर व्यंजनों के भेद*

इस आधार पर व्यंजनों के तीन भेद किये जाते हैं - **अंतस्थ, ऊष्म** व **स्पर्श।**

(अ) अंतस्थ व्यंजन: ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है। इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। ऐसे व्यंजन चार हैं- **य, र, ल, व।** य और व में यह प्रवृत्ति अधिक है। इस विशेष योग्यता के कारण इन दोनों को **'अर्द्धस्वर'** भी कहा जाता है।

(आ) ऊष्म या संघर्षी व्यंजन: ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में विशेष रूप से श्वास का घर्षण होता है। वस्तुतः, जीभ तथा होठों के निकट आने के कारण इनके उच्चारण में वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है व इसी से संघर्ष/घर्षण होता है। ये संख्या में चार हैं- **श, ष, स, ह।**

(इ) स्पर्श व्यंजन: ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जीभ या निचला होठ उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु को रोकता है। इन व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर पाँच वर्गों में पाँच-पाँच की संख्या में बाँटा गया है-

क वर्ग : क ख ग घ ङ
च वर्ग : च छ ज झ ञ
ट वर्ग : ट ठ ड ढ ण
त वर्ग : त थ द ध न
प वर्ग : प फ ब भ म

अध्याय
2

मानक हिन्दी की व्याकरणिक संरचना

हिंदी व्याकरण के महत्त्वपूर्ण कारकों के अंतर्गत, हिंदी भाषा के प्रयोग के समय व्याकरण संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ, जिनके सही रूप एवं ज्ञान के बिना, हिंदी भाषा का व्याकरण के संदर्भ में सही प्रयोग करने में समस्या आती है, उन समस्याओं के समाधान के लिये, हिंदी व्याकरण के महत्त्वपूर्ण कारक से संबंधित अध्याय में संज्ञा एवं उसके भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम क्रिया, क्रिया-विशेषण तथा विशेषण आदि के संबंध में आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण जानकारियों को प्रस्तुत किया गया है।

2.1 संज्ञा

परिभाषा

जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भाव आदि के नाम का बोध हो, उस विकारी शब्द को संज्ञा कहा जाता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "किसी प्राणी, चीज़, गुण, काम या भाव आदि के नाम को 'संज्ञा' कहते हैं।"

उदाहरण- सुमन, राम, श्याम, गंगा, कनाडा आदि।

संज्ञा के भेद

संज्ञा के कुल पाँच प्रमुख भेद माने गए हैं-

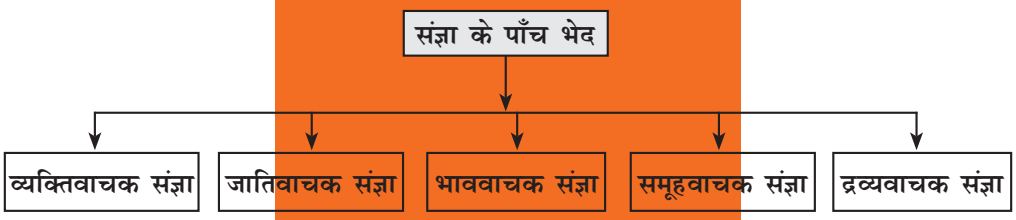

1. *व्यक्तिवाचक संज्ञा*

किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे–राम, गंगा, भारत, दिल्ली आदि।

(i) **व्यक्तियों के नाम**–राम, मुकेश, मोहन, सीता आदि।

(ii) **दिशाओं के नाम**–पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि।

(iii) **देशों के नाम**–भारत, अमेरिका, कनाडा आदि।

(iv) **शहरों के नाम**–दिल्ली, पटना, इलाहाबाद आदि।

(v) **समुद्रों के नाम**–काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि।

(vi) **नदियों के नाम**–गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि।

2. *जातिवाचक संज्ञा*

जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे–मनुष्य, घर, नदी, देश आदि।

- स्वतंत्र रूप में विशेषणों की संख्या कम है, अतः आवश्यकतानुसार संज्ञा से ही विशेषणों को बनाया जाता है।

उदाहरणार्थ–

संज्ञा		विशेषण
● अतुल्य	→	अतुलनीय
● आदर	→	आदरणीय
● ईश्वर	→	ईश्वरीय
● कल्पना	→	काल्पनिक
● करुणा	→	कारुणिक
● घृणा	→	घृणित
● चमत्कार	→	चमत्कृत
● झंकार	→	झंकृत
● तंत्र	→	तांत्रिक
● परीक्षा	→	परीक्षित
● पल्लव	→	पल्लवित
● विज्ञान	→	वैज्ञानिक
● यंत्र	→	यांत्रिक
● समुदाय	→	सामुदायिक
● शिक्षा	→	शिक्षित
● हँसी	→	हँसोड़
● क्षण	→	क्षणिक
● ज्ञान	→	ज्ञानी
● क्षेत्र	→	क्षेत्रीय

विगत वर्षों में आए हुए तथा अन्य संभावित प्रश्न

1. सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सोदाहरण लिखिये। **60-62वीं, B.P.S.C. (Mains)**
2. विशेषण की परिभाषा देते हुए, उसके भेदों को सोदाहरण लिखिये। **56-59वीं, B.P.S.C. (Mains)**
3. संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर सोदाहरण प्रकाश डालिये। **53-55वीं, B.P.S.C. (Mains)**
4. क्रिया की परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर सोदाहरण प्रकाश डालिये। **48-52वीं, B.P.S.C. (Mains)**
5. कारक की परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिये।
6. क्रिया-विशेषण की परिभाषा देते हुए, उसके भेदों पर प्रकाश डालिये।

अध्याय
3

संधि एवं समास

संधि एवं समास भाषा की वे युक्तियाँ हैं, जिनमें अलग-अलग शब्द या शब्दांश आपस में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जहाँ समास का संयोग दो शब्दों के परस्पर जुड़ने से होता है, वहीं संधि एक शब्द व दूसरे शब्दांश के बीच भी हो सकती है। जैसे– निर् + आकार = निराकार तथा सत् + जन = सज्जन आदि।

संधि

सामान्यत: संधि के तीन भेद माने जाते हैं–

- स्वर संधि
- व्यंजन संधि
- विसर्ग संधि

स्वर संधि

दो व्यंजनों के मिलने से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे- विद्या + आलय = विद्यालय। यहाँ अ + आ = आ हो गया है।

स्वर संधि के पाँच भेद होते है। (क) दीर्घ संधि, (ख) गुण संधि, (ग) वृद्धि संधि, (घ) यण संधि, (ङ) अयादि संधि।

(क) दीर्घ संधि: इस प्रकार की संधि के द्वारा जिस स्थान पर अ/आ के पश्चात् अ/आ आए तथा उ/ऊ के पश्चात् उ/ऊ आए अथवा इ/ई के पश्चात् इ/ई आए तो ये दोनों शब्द मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं।

जैसे- अ + आ = आ
परम + अर्थ = परमार्थ
इ + ई = ई
गिरि + इंद्र = गिरींद्र

(ख) गुण संधि: इस प्रकार की संधि के द्वारा जिस स्थान पर अ/आ के पश्चात् यदि 'इ' आए तो ये मिलकर 'ए' हो जाता है तथा यदि अ/आ के पश्चात् यदि उ आए तो ये मिलकर 'औ' हो जाते हैं।

जैसे- आ + इ = ए
नर + ईश = नरेश
आ + उ = ओ
महा + उपदेश = महोपदेश

(ग) वृद्धि संधि: इस प्रकार की संधि के द्वारा जिस स्थान पर अ/आ के पश्चात् यदि ए/ऐ आए तो दोनों मिलकर 'ऐ' हो जाते हैं, यदि अ/आ के पश्चात् यदि 'ओ' आए तो दोनों मिलकर 'औ' हो जाते हैं।

जैसे- आ + ए = ऐ
तथा + एन = तथैव
आ + ओ = औ
महा + औषधि = महौषधि

(घ) यण संधि: इस प्रकार की संधि के द्वारा जिस स्थान पर इ/ई के पश्चात् यदि कोई दूसरा (भिन्न) स्वर हो तो 'इ' हो जाता है, इसी प्रकार यदि 'ई' के स्थान पर 'य' हो तो 'उ' हो जाता है। इसी प्रकार यदि इ, ई, उ, ऊ तथा ऋ के पश्चात् कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर इ, ई का 'य', उ ऊ का 'व' एवं 'ऋ' का 'र' हो जाता है।

जैसे- इ + आ = या

अध्याय
4

उपसर्ग और प्रत्यय

हिंदी में शब्द-निर्माण एवं अर्थ की विशिष्टता प्रदान करने में उपसर्ग की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उपसर्ग प्रायः एक या दो अक्षरों के होते हैं। इन्हें शब्दांश या अव्यय भी कहा जाता है। ये शब्द के आगे (प्रारंभ में) लगकर मूलशब्द से भिन्न एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और इस नए शब्द का अर्थ मूल शब्द के अर्थ से भिन्न होता है। इस प्रकार उपसर्ग ऐसे शब्दांश या अव्यय को कहते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हिंदी शब्द-निर्माण के महत्त्वपूर्ण स्रोत का एक सशक्त साधन प्रत्यय है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर न केवल अर्थ-क्षेत्र को व्यापक बनाता है, वरन् शब्द-भंडार को भी समृद्ध करता है।

उपसर्ग

उपसर्ग में दो शब्द हैं– उप + सर्ग। 'उप' का अर्थ समीप, पास या निकट होता है, जबकि 'सर्ग' से आशय सृष्टि करने से है। इस प्रकार उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है– पास या निकट बैठकर नव अर्थयुक्त शब्द-निर्माण या फिर अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करना।

'अ' और 'नि' ऐसे दो हिंदी उपसर्ग है जो अत्यधिक रूप से प्रचलित हैं। इन दोनों उपसर्गों से अत्यधिक शब्द निर्माण होते हैं। इन्हीं उपसर्गों से निर्मित कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं–

- 'अ' उपसर्ग से निर्मित शब्द– अमान्य, अमूल्य, अशुभ, अकर्म, अज्ञानी, अन्याय, अपरिमित, अकार्य आदि।
- 'नि' उपसर्ग से निर्मित शब्द– निकृष्ट, निदर्शन, निवारण, निरोध, निवास, निमग्न, निदान आदि।

उपसर्ग से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- उपसर्ग की प्रयुक्तता से अर्थ में नई विशेषता आती है, यद्यपि अर्थ वही रहता है; जैसे– मूल्य-अमूल्य-बहुमूल्य।
- उपसर्ग के प्रयोग से शब्दार्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, केवल गति या अधिकता का बोध होता है।
- उपसर्ग लगाने से नवनिर्मित शब्द मूल शब्द का विलोम बन जाता है; जैसे– शुभ-अशुभ, न्याय-अन्याय, डर-निडर।

उपसर्ग के प्रकार

चूँकि हिंदी का जन्म या विकास संस्कृत से हुआ है। अतः इसके प्रमुख उपसर्ग संस्कृत के ही हैं। हालाँकि विकास के काल-क्रम में हिंदी ने अपने उपसर्ग भी विकसित किये हैं। फिर मुगल साम्राज्य और अंग्रेज़ी शासनकाल की सदियों की अवधि में इनकी भाषाएँ क्रमशः अरबी-फारसी तथा अंग्रेज़ी ने हिंदी पर जबरदस्त प्रभाव डाला और परिणाम के रूप में इन भाषाओं के प्रचलित प्रमुख उपसर्गों को हिंदी ने या तो यथावत् अथवा कुछ रूप-परिवर्तन कर अधिग्रहण कर लिया। इस प्रकार वर्तमान में हिंदी में प्रमुख रूप से तीन प्रकार के प्रचलित उपसर्ग सर्वमान्य हैं–

1. संस्कृत के उपसर्ग **2. हिंदी उपसर्ग** **3. उर्दू के उपसर्ग**

1. *संस्कृत के उपसर्ग*

हिंदी ने अपनी जननी संस्कृत के जिन प्रमुख उपसर्गों को ग्रहण किया है, उनके नाम, अर्थ एवं उनसे निर्मित शब्दों के सरलबोध हेतु सारणी के रूप में निम्नवत् प्रस्तुत हैं–

क्रमांक	उपसर्ग	अर्थ	उपसर्ग से निर्मित शब्द
1.	**अति**	अधिक, ऊपर, उस पार	अतिकाल, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अतिव्यापी, अत्यंत, अत्युक्ति, अत्याचार, अतिक्लांत इत्यादि।
2.	**अधि**	श्रेष्ठ, ऊपर, निकटता	अधिकरण, अधिकार, अधिकोष, अधिपति, अधिपाठक, अधिराज, अधिवासी, अधिष्ठाता, अध्यक्ष, अध्यात्म इत्यादि।

अध्याय
5

मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

हिंदी के 'मुहावरा' शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के 'मुहावर:' शब्द से हुई है। 'मुहावर:' शब्द का अर्थ होता है- अभ्यास करना। इस प्रकार हिंदी में 'मुहावरा' का अर्थ बातचीत, बोलचाल या अभ्यास है, जो भाषायी अभिव्यक्ति में विलक्षण और लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

इसी प्रकार कहावत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है- कही हुई बात। इस अर्थ में वही बातें कहावत होती हैं, जिनमें जीवन के अनुभव या ज्ञान की बातें संक्षिप्त, लेकिन विलक्षण ढंग से कही गई हों तथा लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ- लोक (जनसामान्य) की उक्ति (कथन) है। 'उक्ति' से यहाँ आशय उसी संदर्भ में है, जैसी कहावत में है।

मुहावरा

मुहावरा ऐसे पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं, जिसका अर्थ सामान्य या शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। अपने इस विशेष गुण के कारण यह सदियों से बोलचाल एवं लेखन में प्रयोग होता आ रहा है।

उदाहरण

'मच्छर मारना' और 'चांदी का जूता मारना' के शाब्दिक अर्थ क्रमश: न तो मच्छर को मारना है और न ही जूते से मारना। वस्तुत: इन दोनों मुहावरों के अर्थ क्रमश: 'खाली बैठकर समय काटना' और 'धन का लोभ देना' है। यही कारण है कि वर्तमान समय में सामान्य या गुणवत्तापूर्ण वार्त्ता और लेखन में मुहावरे का प्रयोग अधिकाधिक होता है।

अन्य हिंदी विद्वानों के अनुसार-

"जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्राय: क्रिया का काम देता है, उसे वाग्धारा या मुहावरा कहते हैं।" **(श्याम चंद्र कपूर)**

"ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का न बोध कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है।" **(डॉ. वासुदेव नंदन प्रसाद)**

"मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं, जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ि लक्ष्यार्थ के लिये किया जाता है।" **(डॉ. भोलानाथ तिवारी)**

कहावतें (लोकोक्तियाँ)

कहावत ऐसे पदबंध समूह को कहते हैं, जिसमें जीवन के अमूल्य अनुभव एवं ज्ञान की बातें संक्षिप्त रूप में, मगर सुंदर, प्रभावशाली तथा चमत्कारिक ढंग से कही जाती है। इसे लोकोक्ति भी कहा जाता है।

उदाहरण

'अक्ल बड़ी कि भैंस', 'अक्ल का अंधा', 'अंधे की लकड़ी', 'आगे कुआँ पीछे खाई' आदि। वस्तुत: कथन की प्रामाणिक, प्रभावशाली, जीवंत एवं चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति ही कहावत या लोकोक्ति का उद्देश्य होता है।

मुहावरे के समान ही कहावत या लोकोक्ति का हिंदी भाषा में बोलचाल और लेखन दोनों में अधिकाधिक प्रयोग होता है। यह भी भाषा में वही विशिष्टता लाती है, जो मुहावरा लाता है। मगर मुहावरे से भिन्न इसके प्रयोग का उद्देश्य कथन के औचित्य को सिद्ध करना होता है। इसके बावजूद दोनों में अर्थ, विशेषता और प्रयोग आदि में बहुत अंतर है।

मुहावरे एवं कहावतों/लोकोक्तियों में अंतर

मुहावरों एवं कहावतों/लोकोक्तियों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं, जिनका तुलनात्मक उल्लेख बॉक्स में बिंदु रूप में किया गया है-

अध्याय
6

अनेक शब्दों के लिये एक शब्द

परिभाषा

किसी भी समृद्ध भाषा का एक महत्त्वपूर्ण गुण होता है-कम शब्दों में भावों एवं विचारों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति। हिंदी भाषा इस क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध है। संधि, समास आदि हिंदी भाषा के इसी गुण के परिचायक हैं और इसी श्रेणी में 'वाक्यांश के लिये एक शब्द' भी समान रूप से सम्मिलित हैं। इसे 'अनेक शब्दों के लिये एक शब्द' के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य, विशिष्ट व गुणवत्तापूर्ण लेखन और विशेषकर संक्षिप्तीकरण में इसकी उपयोगिता स्वत: सिद्ध है। इनके माध्यम से कम से कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थों या भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है। यहाँ यह कहना तर्कसंगत होगा कि यदि अनेक शब्दों के प्रयोग की बजाय एक शब्द ही पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम हो तो एक शब्द का प्रयोग युक्तिसम्मत होगा।

वाक्यांश	शब्द
सवाल-जबाव	प्रत्युत्तर
बहस-हुज्जत	प्रत्युत्तर
दिये गए उत्तर पर उत्तर	प्रत्युत्तर
मदिरा पीने का प्याला	चषक
जो स्त्री के वशीभूत है	स्त्रैण
बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा	दुरभिसंधि
वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है	वाग्दत्ता
ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक-ठिकाना न हो	आकाशवृत्ति
मरणासन्न अवस्था वाला	मुमूर्षु
तैरने या पार होने का इच्छुक	तितीर्षु
युद्ध की इच्छा रखने वाला	युयुत्सु
जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो	विस्थापित
जिसका दमन किया गया हो	दमित
जिस पर उपकार किया गया हो	उपकृत
तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझ-बूझ	प्रत्युत्पन्नमति
अतिथि सत्कार की भावना	आतिथ्य
वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो	आतिथेय
सामने आया हुआ या अतिथि या साधु-संन्यासी	अभ्यागत
जिसका उत्तर न दिया गया हो	अनुत्तरित
जिसका उत्तर दिया गया हो	उत्तरित

वाक्यांश	शब्द
जिसके अंदर अर्थ भरा हो	अर्थगर्भित
जो आलोचना योग्य हो	आलोच्य
थोड़ा नपा-तुला भोजन करने वाला	मिताहारी
गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला	अंतेवासी
तैरने की इच्छा	तितीर्षा
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति	रिक्थ
व्याकरण के ज्ञाता	वैयाकरण
जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो	युयुत्सु
जिसकी माप-तौल हो सके	परिमेय
दूसरे के दोष खोजने वाला	छिद्रान्वेषी
जो ढका न हो	अनावृत्त
बहुत तेज चलने वाला	द्रुतगामी
कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली	अनामिका
जिसके पेट में माँ ने रस्सी बाँध दी हो	दामोदर
पीछे-पीछे चलने वाला	अनुचर, अनुगामी
जिसकी कोई कीमत न हो सके	अमूल्य
जिसके हृदय पर आघात हुआ हो	मर्माहत
जो अपने पद से हटाया गया हो	पदच्युत
जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो	नि:स्पृह, निस्पृह

अध्याय
7

पर्यायवाची शब्द

जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो अर्थात् जो अर्थ की दृष्टि से समान हों, 'पर्यायवाची' शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के अधिकांश शब्दों को आत्मसात् करने के कारण हिंदी में पर्यायवाची शब्द बहुलता में हैं। पर्यायवाची शब्दों का वाक्य प्रयोग के अनुसार ही उचित निरूपण होता है।

शब्द	पर्यायवाची	शब्द	पर्यायवाची
शंकर	गंगाधर, त्रिलोचन, ललाटाक्ष	प्राची	पूर्व
आम	सहकार, रसाल, आम्र, अंब, अमृतफल, पिकबंधु, पियंबु, अतिसौरभ	तरंग	उर्मि, **लहर**, वीचि
अग्नि	आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, हुताशन, कृषानु, रोहिताश्व, वैश्वानर, वह्नि, वायुसखा	**जंगल**	कांतार, विपिन, अरण्य, कानन, दाव, अटवी, वन
पत्थर	प्रस्तर, पाहन, उपल, ***अश्म***, संग, पाषाण	**क्रोध**	अमर्ष, कोप, रोष
यमुना	सूर्यजा, अर्कजा, रविजा, कालिंदी, रवितनया, कृष्णा	**सरिता**	नदी, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा, **स्रोतस्विनी**
समुद्र	जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, पयोनिधि, जलधाम, अब्धि	**भास्वर**	दीप्त, उज्ज्वल, प्रदीप्त
नदी	निम्नगा, अपगा, कूलवती, तरंगिणी, ***सिंधुगामिनी,*** तटिनी	**हाथी**	गज, कुंजर, करि, दंती, हस्ति, वितुंड, **द्विरद**, **गयंद**, कुंभी, मतंग, सिंधुर, नाग
विष्णु	कमलेश, कमलापति, कमलाकांत, अच्युत, दामोदर, उपेंद्र	कामदेव	**मदन**, अनंग, पंचशर, रतिनाथ, कामग, मकरध्वज, मनोभव, मनोज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कंदर्प, **मार**, स्मर, पुष्पधन्वा, मंमथ, कुसुमशर, **अतनु**
स्वर्ण	हेम, हाटक, हिरण्य, जातक, पुष्कल, रूक्म, जातरूप	जीभ	रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, चंचला
इन्द्र	शचीपति, मधवा, शक्र, सहस्राक्ष, सुरेन्द्र, कौशिक, विडौला, अमरपति, वासव, जिष्णु, पुरुहूत	नैसर्गिक	प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक
सिंह	पंचानन, नाहर, मृगारि, केहरि, शार्दूल, मृगेंद्र	हाथ	हस्त, कर, पाणि, भुजा, बाहु
घर	निकेतन, निलय, आयतन, ***अयन***, गेह, गृह	चाँदनी	चंद्रातप, ज्योत्स्ना, कौमुदी, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृत-कर्णिका, तरंगिणी
मछली	झष, सफरी, मीन, मत्स्य	सरस्वती	महाश्वेता, वागीशा, भारती, वीणापाणि, इला, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा
कपड़ा	पट, अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, चीर, **दुकूल**	लक्ष्मी	पद्मा, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, इंदिरा
रात्रि	रजनी, विभावरी, रात, निशीथ, निशा, **तमिस्रा**, **निशि**	विष्णु	**जनार्दन**, विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, चतुर्भुज, जलशायी

अध्याय
8

वाक्य-शुद्धि

शुद्ध एवं त्रुटिहीन अभिव्यक्ति हेतु भाषागत वाक्य-रचना संबंधी विशेष विधान होते हैं और इन्हीं के आधार पर भाषायी शुद्धता की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, भले ही अभिव्यक्ति का माध्यम लेखन हो अथवा वाचन (वार्ता)। हिन्दी में भी शुद्ध, स्पष्ट, सुंदर एवं पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हेतु वाक्य-रचना के अन्यान्य विधान हैं, जिनका क्रमिक, व्यवस्थित एवं विस्तृत वर्णन यहाँ प्रस्तुत है।

वाक्य-रचना के नियम

भाषा के माध्यम से जो विचार या भाव की अभिव्यक्ति होती है, वह कमोबेश पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। वाक्य सार्थक शब्द-समूह का योग होता है और ये शब्द-समूह कुछ विशेष विधान के अनुरूप वाक्य में स्थानगत होते हैं, तदुपरांत ही विचार/भाव की सार्थक एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति संभव हो पाती है। इस दृष्टिकोण से शुद्ध, संपूर्ण एवं सार्थक वाक्य-रचना हेतु निम्न विधान का ज्ञान होना अति आवश्यक है–

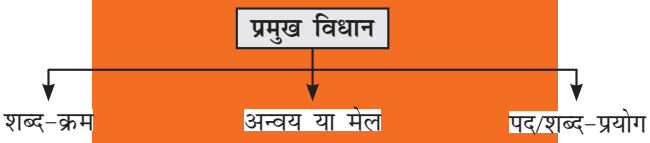

शब्द-क्रम

'शब्द-क्रम' का अर्थ है– शब्दों का क्रम। शब्दों के इस क्रम से आशय वाक्य में इनकी वाक्य-रचना के विधानानुसार प्रयुक्तता से है। सार्थक वाक्य तभी बनता है, जब उसमें प्रयुक्त शब्द-समूह एक विशेष नियम के अनुसार स्थानगत होता है। अतः शुद्ध एवं सुंदर लेखन एवं वाचन (वार्ता) हेतु शब्द-क्रम संबंधी विधान (नियमों) का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यहाँ इन नियमों का क्रमिक विवरण निम्नांकित रूप से प्रस्तुत है–

- **वाक्य-रचना में सर्वप्रथम (प्रारंभ में) कर्ता, तत्पश्चात् कर्म एवं अंत में क्रिया की प्रयुक्तता होनी चाहिये।**

  उदाहरण– मैं किताब पढ़ता हूँ। राम ने भोजन किया। श्याम स्कूल गया।

  इन वाक्यों में 'मैं', 'राम' और 'श्याम' कर्ता होने के कारण वाक्य के प्रारंभ में, जबकि 'किताब', 'भोजन' और 'स्कूल' कर्म होने के कारण वाक्य के मध्य में और 'पढ़ता हूँ', 'किया' और 'गया' क्रमशः क्रिया होने के कारण वाक्य के अंत में आए हैं।

- कर्ता के विस्तार (उद्देश्य) को कर्ता के पूर्व तथा क्रिया के विस्तार (विधेय) को क्रिया के पूर्व वाक्य में प्रयुक्त करें।

  उदाहरण– **नम्र** व्यक्ति **नम्रतापूर्वक** बात करते हैं। **अच्छे** विद्यार्थी **धीरे-धीरे** लिखते हैं।

  इन वाक्यों में 'नम्र' एवं 'अच्छे' जो कर्ता-विस्तार हैं, क्रमशः कर्ताद्वय 'व्यक्ति' एवं 'विद्यार्थी' के पूर्व आए हैं, जबकि 'नम्रतापूर्वक' एवं 'धीरे-धीरे' क्रिया-विस्तार होने के कारण क्रमशः क्रियाद्वय 'बात' और 'लिखते' से पहले आए हैं।

- **वाक्य में कारक की अहम भूमिका के कारण अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक को क्रमागत (क्रमिक) रूप से कर्ता तथा कर्म के मध्य प्रयुक्तता होनी चाहिये।**

  उदाहरण– राम ने गाड़ी **में** (अधिकरण) रखी थैली **से** (अपादान) बच्चों **के लिए** (संप्रदान) अपने हाथ **से** (करण) टॉफियाँ निकालीं।

- **संबोधन कारक के विभक्ति-चिह्न वाक्य में सदैव प्रारंभ में प्रयुक्त किये जाने चाहिये।**

अध्याय
9

संक्षेपण

इस अध्याय के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग के नवीनतम् पाठ्यक्रम (सिलेबस) को ध्यान रखते हुए तथा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विगत वर्षों में आयोजित की गई राज्य प्रशासनिक (सिविल) सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के 'सामान्य हिन्दी' प्रश्नपत्र में गद्यावतरण से संबंधित शीर्षक एवं संक्षिप्तीकरण संबंधी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उन बातों को स्पष्ट रूप में समझाने का प्रयास किया गया है, जो गद्यावतरण का 'शीर्षक' एवं 'संक्षिप्तीकरण' के लिये अति आवश्यक होती है।

9.1 शीर्षक

यह मूल पाठ के केंद्रीय भाव से संबंधित होता है। यह मूल पाठ का अत्यंत महत्त्वपूर्ण शब्द या एक से अधिक शब्दों का समूह होता है। मूल पाठ के शीर्षक को परखने या अनुमान लगाने हेतु सबसे उपयुक्त तरीका यह होता है कि यदि हम दिये गए मूल पाठ को पढ़कर लगभग उसी प्रकार का अवतरण लिखने में सफल होते हैं तो समझो वही उपयुक्त शीर्षक है। इसी प्रकार यदि पाठ में शीर्षक से संबंधित एक से अधिक विकल्पों का अभाव हो, तब आकलन कीजिये कि उनमें से कोई एक ऐसा होगा, जो सबसे बेहतर होगा, तब समझिये वहीं एक उचित शीर्षक है।

9.2 संक्षिप्तीकरण

किसी विस्तृत विवरण, वक्तव्य, व्याख्या, भाषण, पत्र, लेख आदि के सारगर्भित एवं संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। डॉ. वासुदेवनंदन प्रसाद के अनुसार, ''किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र-व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को 'संक्षिप्तीकरण' कहते हैं, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो।'' संक्षिप्तीकरण में मूल संदर्भ के विचारों को इस प्रकार संक्षिप्त एवं क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है कि उसमें मूल अवतरण के सभी विचार आ जाएँ। संक्षिप्तीकरण को पढ़ लेने के बाद मूल अवतरण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। संक्षिप्तीकरण में अनावश्यक शब्दों को हटा दिया जाता है। इसमें कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक विचारों, भावों तथा तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि संक्षिप्तीकरण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है।

संक्षिप्तीकरण की विशेषताएँ

- **पूर्णता–** संक्षिप्तीकरण अपने आपमें पूर्ण होना चाहिये। इसके मूल संदर्भ में सभी विचार आने चाहिये तथा मूल के अनुरूप ही विचारों की गंभीरता भी बनी रहनी चाहिये। संक्षिप्तीकरण पढ़ने पर मूल अवतरण के सभी विचार एवं भाव स्पष्ट हो जाने चाहिये।
- **संक्षिप्तता–** संक्षिप्तीकरण के मूल में उसकी संक्षिप्तता का गुण है। अनावश्यक शब्दों को छाँटकर तथा मुख्य विचारों को सामासिक शैली में सारगर्भित रूप में व्यक्त करना ही संक्षिप्तीकरण की विशेषता है। सामान्यतः संक्षिप्तीकरण मूल संदर्भ का एक-तिहाई हिस्सा/भाग होता है।
- **स्पष्टता–** संक्षिप्तीकरण में अर्थ की स्पष्टता होनी चाहिये। संक्षिप्तीकरण को पढ़ने से मूल अवतरण का आशय स्पष्ट हो जाना चाहिये।
- **भाषा की सरलता–** संक्षिप्तीकरण की भाषा आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिये। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिये, जो सरल तथा स्पष्ट हो। अलंकृत भाषा एवं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

अध्याय
10

निबंध

निबंध लिखना विद्यार्थी जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। पढ़ाई चाहे विद्यालय स्तर की हो, कॉलेज के स्तर की या प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर की, निबंध लेखन की चुनौती विद्यार्थियों के सामने बनी ही रहती है। कई विद्यार्थियों के मन में यह सहज सवाल उठता है कि आखिर उनसे निबंध क्यों लिखवाया जाता है? निबंध को पढ़कर कोई उनके मानसिक स्तर या व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे कर सकता है? और अगर कर सकता है, तो उन्हें एक बेहतरीन निबंध कैसे लिखना चाहिये?

इस लेख के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। विश्वास रखिये कि निबंध लेखन की कला कोई जन्मजात कला नहीं है, इसे कठोर अभ्यास से निश्चित तौर पर साधा जा सकता है। अगर आप भी ठान लेंगे कि आपको प्रभावशाली निबंध-लेखक बनना है तो एक-दो महीनों के निरंतर और रणनीतिक अभ्यास से आप निश्चय ही इस सपने को साकार कर लेंगे।

10.1 निबंध क्या है?

सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि एक विधा (Genre) के रूप में निबंध क्या है और यह अन्य विधाओं से कैसे अलग है? 'विधा' (Genre) शब्द शायद आपको नया लग रहा होगा। इसका अर्थ साहित्य, संगीत या कला की विशेष शैलियों से होता है। उदाहरण के लिये, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, लेख और समीक्षा विभिन्न विधाओं के उदाहरण हैं। किसी विधा में उतरने से पहले बेहतर होता है कि उसके चरित्र को ठीक से समझ लिया जाए। मुझे विश्वास है कि अगर आपको निबंध विधा की ठीक समझ होगी तो निबंध लेखन की प्रक्रिया में आप अपना सतत् मूल्यांकन भी कर सकेंगे और प्रभावशाली निबंध भी लिख सकेंगे।

कुछ लोग मानते हैं कि निबंध एक प्राचीन भारतीय विधा है जिसका मूल संस्कृत साहित्य में खोजा जा सकता है। यह बात सही है कि संस्कृत में 'निबंध' नाम की एक विधा मौजूद थी जिसमें धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की विवेचना की जाती थी। इस विधा में लेखक पहले अपने से विरोधी सिद्धांतों को चुनौती के तौर पर पेश करता था और फिर एक-एक करके अपने तर्कों, प्रमाणों की मदद से उन सभी सिद्धांतों को ध्वस्त करता था। चूँकि इस विधा में प्रमाणों का 'निबंधन' किया जाता था, इसीलिये इसका नाम 'निबंध' पड़ गया था।

सवाल यह है कि आज हम जिसे निबंध कहते हैं, वह यही विधा है या उससे अलग? इसका सामान्यत: प्रचलित उत्तर है कि आज का निबंध अपने चरित्र और स्वरूप में संस्कृत के 'निबंध' पर नहीं बल्कि अंग्रेज़ी के 'Essay' पर आधारित है। अत: निबंध विधा को समझने के लिये हमें आधुनिक यूरोपीय साहित्य की पृष्ठभूमि का अनुसंधान करना चाहिये।

माना जाता है कि एक आधुनिक विधा के रूप में 'निबंध' की शुरुआत 1580 ई. में फ्राँस के लेखक मॉन्तेन (Montaigne) के हाथों हुई। मॉन्तेन ने अपने निबंधों के लिये 'ऐसे' (Essay) शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है- 'प्रयोग'। उस समय फ्राँस में कहानी, नाटक, कविता जैसी कई विधाएँ प्रचलित थीं पर निबंध का कलेवर उन सबसे अलग था। इसमें कहानियों की तरह न तो विभिन्न चरित्र/पात्र थे और न ही घटनाएँ थीं। नाटक में कहानी के साथ-साथ दृश्य और मंच की भी बड़ी भूमिका होती है, पर निबंध में यह सब भी नहीं था। अगर कविताओं से तुलना करें तो उनमें छंद, तुक और लय जैसे ढाँचे उपस्थित होते हैं जो रचनाकार को एक बुनियादी फ्रेमवर्क उपलब्ध करा देते हैं; पर निबंध में ये भी नहीं थे क्योंकि निबंध पद्य (Poetry) में नहीं, गद्य (Prose) में था।

स्पष्ट है कि निबंध इन सभी विधाओं से अलग था। एक अर्थ में यह सबसे कठिन विधा के रूप में उभरा क्योंकि इसमें पाठक को बांधकर रखना सबसे मुश्किल काम था। यह मुश्किल इसलिये था क्योंकि इसमें मनोरंजन पैदा करने के

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीज़न हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456